MEDIA RELEASE

JNPT signs MoU with CIDCO for the Development of Infrastructure for Project Affected Persons (PAPs) at the Port Area

- JNPT stands by its commitment to the PAPs -

Mumbai, January 20, 2021: Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), India's premier container port, today announced that it has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with City and Industrial Development Corporation (CIDCO) for allotment of land under the 12.5% scheme to JNPT Project Affected Persons (PAPs). The MoU was signed by Shri Sanjay Sethi, IAS, Chairman, JNPT in presence of Shri Unmesh Wagh, IRS, Deputy Chairman, JNPT and by Shri Sanjay Mukherjee, IAS, Vice Chairman & Managing Director, CIDCO.

The Ministry of Ports, Shipping and Waterways on 23rd May 2019 conveyed its approval for the proposal of JNPT for development of basic infrastructure of land to be allotted under 12.5% scheme of Government of Maharashtra to JNPT PAP's by CIDCO at JNPT at maximum cost of Rs. 376.20 crore.

As per the MoU, JNPT will transfer over 111 hectares of JNPT land to the State Government for allotment of land to the project affected persons and CIDCO has agreed for the PMC charges at 5% of the project cost. The MoU states that, JNPT would pay CIDCO, actual amount incurred by CIDCO towards cost of development of the said land. CIDCO has agreed to complete the entire work within 36 months.

In addition to the transferring the said 111 hectares of the JNPT land, CIDCO will develop the required amenities and infrastructure as per the finalized layout which will be allotted to the JNPT PAPs. JNPT will release the funds in instalments based on actual utilization certificate issued by CIDCO from time to time. It has also been agreed that till the infrastructure is handed over to local authority, CIDCO will be special planning authority for the area and the cost of maintenance of the infrastructure will be borne by CIDCO. Since the project is being funded by JNPT, the Government of Maharashtra has authorized CIDCO to execute this MoU and CIDCO shall pass on the development charges from the PAPs to JNPT.

The allotment of land has been made transparent where CIDCO in coordination with JNPT has conducted five draws of lots through a computerized lottery system and so far 52% PAPs have been issued a letter of intent by CIDCO. JNPT firmly believes, the remaining 48% PAPs will soon participate in the transformation.

About JNPT:

The Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) at Navi Mumbai is the biggest container handling Port in India accounting for around 52% of the total containerised cargo volume, across the major ports of India. Commissioned on 26th May 1989, in less than three decades of its operations, JNPT has transformed from a bulk-cargo terminal to become the premier container port in the country.

Currently JNPT operates five container terminals: The Jawaharlal Nehru Port Container Terminal (JNPCT), the Nhava Sheva International Container Terminal (NSICT), the Gateway Terminals India Pvt. Ltd. (GTIPL), Nhava Sheva International Gateway Terminal(NSIGT) and the newly commissioned Bharat Mumbai Container Terminals Private Limited (BMCTPL). The Port also has a Shallow Water Berth for general cargo and another Liquid Cargo Terminal which is managed by BPCL-IOCL consortium.

For media enquiries, please contact:

Rudranil Sengupta Mob - +91 7045464142/ +91 97 0206 0204 Email – rudranil@conceptpr.com	Neha Dawda Mob: +91 96197 57969 Email: neha@conceptpr.com

प्रेस विज्ञप्ति

जेएनपीटी ने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को 12.5% योजना के तहत आबंटित की जानेवाली भूमि पर बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु सिडको के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

- जेएनपीटी ने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को दिया हुआ वादा पूरा किया-

मुंबई, 20 जनवरी, 2021: भारत के प्रमुख कंटेनर पत्तन जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) ने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को 12.5% योजना के तहत भूमि आबंटन के लिए शहर और औद्योगिक विकास निगम (सिड़को) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। जेएनपीटी के अध्यक्ष श्री संजय सेठी, भा.प्र.से. और सिड़को के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजय मुखर्जी, भा.प्र.से. ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, इस समय जेएनपीटी के उपाध्यक्ष श्री उन्मेष वाघ, भा.रा.से. उपस्थित थे।

पोत परिवहन मंत्रालय ने 23 मई, 2019 को जेएनपीटी के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को महाराष्ट्र सरकार की 12.5% योजना के तहत आबंटन की जानेवाली भूमि पर सिड़को द्वारा मूलभूत सुविधाओं के विकास के जेएनपीटी के अधिकतम रु.376.20 करोड़ के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया था।

इस समझौता ज्ञापन के अनुसार के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को भूमि के आबंटन के लिए जेएनपीटी अपनी 111 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करेगा और सिड़को ने परियोजना लागत के

5% पीएमसी शुल्क के लिए सहमति जताई है। समझौता ज्ञापन में यह कहा गया है कि उक्त भूमि के विकास के लिए सिडको द्वारा किए जानेवाले वास्तविक व्यय का भुगतान जेएनपीटी द्वारा सिड़को को किया जाएगा। सिड़को द्वारा उक्त भूमि पर मूलभूत सुविधाओं का विकास कार्य 36 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

जेएनपीटी की 111 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण करने के अलावा सिड़को अंतिम रूप से तैयार किए गए लेआउट के अनुसार आवश्यक सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं का विकास करेगा। सिड़को द्वारा समय-समय पर द्वारा जारी किए गए वास्तविक उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर जेएनपीटी सिड़को को किस्तों में धनराशि जारी करेगा। जेएनपीटी और सिड़को के बीच इस बात पर भी सहमति हुई है कि बुनियादी सुविधाओं को स्थानीय प्राधिकरण को सौंपे जाने तक सिडको उक्त क्षेत्र के लिए एक विशेष नियोजन प्राधिकरण होगा और बुनियादी सुविधाओं की देखभाल का व्यय सिड़को द्वारा किया जाएगा। चूंकि परियोजना वित्त पोषण जेएनपीटी द्वारा किया जा रहा है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने सिड़को को इस समझौता ज्ञापन के निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया है तथा सिड़को परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से विकास शुल्क वसूल करके जेएनपीटी को देगा।

उक्त भूमि आबंटन पारदर्शी तरीके से किया गया है। भूमि आबंटन के लिए सिड़को द्वारा जेएनपीटी के समन्वय से कम्प्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पाँच ड्रा निकाले गए और अब तक 52% परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को सिड़को द्वारा आशय पत्र जारी किए गए हैं। जेएनपीटी को विश्वास है कि शेष 48% परियोजना प्रभावित व्यक्ति भी जल्द ही इसमें भाग लेंगे।

जेएनपीटी के बारे में:

नवी मुंबई में स्थित जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) कंटेनर प्रहस्तन करनेवाला भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, जो भारत के सभी महापत्तनों द्वारा प्रहस्तित कुल कंटेनरीकृत कार्गो के लगभग 52% कार्गो का प्रहस्तन करता है। जेएनपीटी का आरंभ 26 मई 1989 को हुआ और अपने प्रचालन के तीन दशकों से भी कम समय में, जेएनपीटी बल्क-कार्गो टर्मिनल से कंटेनर टर्मिनल में परिवर्तित होते हुए देश का प्रमुख कंटेनर पत्तन बन गया।

वर्तमान में जेएनपीटी में पांच कंटेनर टर्मिनल कार्यरत हैं: जवाहरलाल नेहरू पत्तन कंटेनर टर्मिनल (जेएनपीसीटी), न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (एनएसआईसीटी), गेटवे टर्मिनल इंडिया प्रा. लिमिटेड (जीटीआईपीएल), न्हावा शेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल (एसएसआईजीटी) और हाल ही में शुरू हुआ भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (बीएमसीटीपीएल)। पत्तन में सामान्य कार्गो के लिए एक उथला घाट (शैलो वाटर बर्थ) और एक द्रव कार्गो टर्मिनल भी है, जिसे बीपीसीएल–आईओसीएल के संघ (कंसोर्शियम) द्वारा चलाया जाता है।

For media enquiries, please contact:
For media enquiries, please contact:

<table>
<tr><td>Ramesh Uppara
Mob: +91 98924 24992
Email: ramesh@conceptpr.com</td><td>Kiran Jadhav
Mob: +91 99696 14247
Email: kiran@conceptpr.com</td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center">Rudranil Sengupta
Mob: +91 7045464142
Email – rudranil@conceptpr.com</td></tr>
</table>

प्रसिद्धि पत्रक

जेएनपीटीने सिडकोबरोबर केला सामंजस्य करार –
सिड़को करणार 12.5% भूखंडावर पायाभूत सुविधांचा विकास

- जेएनपीटीने प्रकल्पग्रस्तांना दिलेले वचन केले पूर्ण -

मुंबई, 20 जानेवारी 2021 : भारताच्या प्रमुख कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) ने प्रकल्पग्रस्तांना 12.5% योजनेतील भूखंड वाटपासाठी शहर व औद्योगिक विकास महामंडळा (सिडको) सोबत सामंजस्य करार केला आहे. जेएनपीटीचे अध्यक्ष श्री संजय सेठी, भा.प्र.से. आणि सिड़कोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री संजय मुखर्जी, भा.प्र.से. यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. यावेळी जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष श्री उन्मेष वाघ, भा.रा.से. उपस्थित होते.

नौकानयन मंत्रालयाने 23 मे, 2019 रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या 12.5% योजनेअंतर्गत जेएनपीटीच्या प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येणा-या जमीनीवर सिडकोच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठीचा रु.376.20 कोटी रुपये खर्चाच्या जेएनपीटीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती.

या सामंजस्य करारानुसार जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटपासाठी आपली 111 हेक्टर जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केली जाईल व सिडकोने प्रकल्प खर्चाच्या 5% पीएमसी शुल्कासाठी सहमती दर्शविली आहे. सामंजस्य करारात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सिडकोला या जागेच्या विकासासाठी जो काही खर्च येईल तो जेएनपीटी सिडकोला देईल. सिडकोने हे संपूर्ण विकास कार्य 36 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे मान्य केले आहे.

जेएनपीटीच्या 111 हेक्टर जमीनीच्या हस्तांतरणा व्यतिरिक्त सिड़कोकडून अंतिम आराखड्यानुसार आवश्यक सुविधा व पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल. सिडको केलेल्या कामाचे प्रत्यक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र जेएनपीटीला देईल व त्या आधारे जेएनपीटी सिडकोला हप्त्यांमध्ये निधी निर्गमित करेल. या करारामध्ये हे देखील मान्य केले गेले आहे की जोपर्यंत पायाभूत सुविधा स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत सिडको त्या भागासाठी एक विशेष नियोजन प्राधिकरण असेल आणि पायाभूत सुविधांच्या देखभालीचा खर्च सिडकोद्वारा करण्यात घेईल. या प्रकल्पासाठी जेएनपीटी वित्तपुरवठा करीत असल्याने महाराष्ट्र शासनाने हा सामंजस्य करार कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी सिडकोला दिली असून सिडको प्रकल्पग्रस्तांकडून विकास शुल्क वसूल करून जेएनपीटीला देईल.

12.5% चे भूखंड वाटप पारदर्शकपणे करण्यात आले आहे. भूखंड वाटपासाठी सिड़कोने जेएनपीटीच्या सहकार्याने संगणकीकृत लॉटरी प्रणालीद्वारे पाच ड्रॉ काढण्यात आले असून आतापर्यंत 52% प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने हेतू पत्र दिले आहेत. जेएनपीटीला ठाम विश्वास आहे की उर्वरित 48%प्रकल्पग्रस्त सुद्धा लवकरच यामध्ये भाग घेतील.

जेएनपीटीविषयी :

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) हा नवी मुंबई येथील भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर हाताळणीचे बंदर आहे. भारतातील मुख्य बंदरांमध्ये होणाऱ्या एकंदर कंटेनर कार्गो वाहतुकीच्या सुमारे 52% कामकाज जेएनपीटी येथे चालते. 26 मे 1989 मध्ये या बंदराची स्थापना झाली असून कामकाजाच्या तीनपेक्षा कमी दशकांत जेएनपीटी हे देशातील बल्क-कार्गो टर्मिनलवरून प्रीमियर कंटेनर पोर्ट म्हणून नावारूपाला आले.

सध्या जेएनपीटी येथे पाच कंटेनर टर्मिनल्स कार्यरत आहेत. ज्यामध्ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल (जेएनपीसीटी), न्हावा शेवा इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनल (एनएसआयसीटी), गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा. लि. (जीटीआयपीएल), न्हावा शेवा इंटरनॅशनल गेटवे टर्मिनल (एनएसआयजीटी) आणि नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल्स प्रायव्हेट लिमिटेड (बीएमसीटीपीएल)चा समावेश आहे. या बंदरात सर्वसाधारण कार्गोकरिता शॅलो वॉटर बर्थ आणि आणखी एक लिक्विड कार्गो टर्मिनल आहे, ज्याचे व्यवस्थापन बीपीसीएल-आयओसीएल कन्सोर्टीयमद्वारे चालते.

For media enquiries, please contact:

Ramesh Uppara Mob: +91 98924 24992 Email: ramesh@conceptpr.com	Kiran Jadhav Mob: +91 99696 14247 Email: kiran@conceptpr.com
Rudranil Sengupta Mob: +91 7045464142 Email – rudranil@conceptpr.com	